प्रेस नोट

थाना चांदीनगर   दिनाँक 23.08.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध पशु तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी मारूति सुपर कैरी नं0 DL-1LAM-7737 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी मारूति सुपर कैरी नं0 DL-1LAM-7737 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-इकराम पुत्र बाबू निवासी कस्बा व थाना जलालाबाद थाना भवन जनपद शामली।

2-इकबाल पुत्र बक्शी निवासी कस्बा व थाना जलालाबाद थाना भवन जनपद शामली।

3-बिलाल पुत्र युसुफ निवासी कस्बा व थाना जलालाबाद थाना भवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- **एक गाडी मारुति सुपर कैरी नं0 DL-1LAM-7737**
- **क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-का0 18 राहुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बालैनी दिनाँक 23.08.2025

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

हीरालाल पुत्र इन्द्रलाल निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिह थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 23.08.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 203/25 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 203/25 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र मुन्तयाज निवासी ग्राम जागोस थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली।

2-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप थाना छपरौली।

3-है0का0 756 पंकज थाना छपरौली।

4-का0 1053 योगेश कुमार थाना छपरौली।

प्रेस नोट

थाना खेकडा   दिनाँक 23.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 272/25 धारा 191(2)/190/126(2)/ 131/115(2)/110 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.08.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी चांद पुत्र मौसम निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.तासिम पुत्र यामीन, 2.आसू, 3.सराजू, 4.जाबिद, 5.आबिद पुत्रगण यामीन, 6.सानू, 7.शहजाद पुत्रगण आसू, 8.चांद पुत्र सराजू निवासीगण कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा उसके पिता मौसम का रास्ता रोककर एक राय होकर लाठी-डन्डो से हमला करते हुए मारपीट की गयी व उनके सिर पर जान से मारने की नीयत से डण्डा मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गये। इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 272/25 धारा 191(2)/190/126(2)131/ 115(2)/110 BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 272/25 धारा 191(2)/190/126(2)131/115(2)/110 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

तासिम पुत्र यामीन निवासी कस्बा खेकड़ा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 डंडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 रक्षा भारद्वाज थाना खेकडा जनपद बागपत।
2-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 23-08-2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अवैध पटाखे वजन 200 किलोग्राम व तस्करी में प्रयुक्त बस UP-14MT-2034 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को

गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध पटाखे वजन 200 किलोग्राम व तस्करी में प्रयुक्त बस UP-14MT-2034 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 5/9B(1)b विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शाहनवाज पुत्र शकील निवासी ग्राम ललियाना थाना किठौर जनपद मेरठ हाल पता लख्खीपुरा थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।
2-उजेर पुत्र इकराम निवासी ग्राम बैठ थाना सिंभावली जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरण-

- पटाखे वजन करीब 200 किलोग्राम।
- तस्करी में प्रयुक्त 01 बस नम्बर UP-14MT-2034

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकडा।
2-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा।
3-का0 590 रवि कुमार थाना खेकडा।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 23.08.2025

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने नाबालिक गुमशुदा उम्र 16 वर्ष को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के गुमशुदा नाबालिग उम्र 16 वर्ष को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है0का0 48 मीनू शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 23-08-2025

थाना बिनौली पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पारिवारिक विवाद का किया सफल समाधान।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना बिनौली पर एक प्रकरण में वादिया द्वारा घरेलू उत्पीड़न संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिनौली पुलिस द्वारा दोनों पक्षों (पति-पत्नी एवं उनके परिजनों) को दिनांक 23.08.2025 को थाना बिनौली पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया । मिशन शक्ति महिला टीम द्वारा दोनों पक्षों की विस्तारपूर्वक काउंसलिंग की गई, जिसमें पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे के आरोप-प्रत्यारोप को शांति एवं संयमपूर्वक सुना गया। वार्ता के दौरान टीम ने वैवाहिक जीवन में समरसता एवं आपसी समझ विकसित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया। काउंसलिंग के पश्चात दोनों पक्षों ने आपसी मतभेदों को सुलझाते हुए एक-दूसरे के प्रति अपने मतभेद दूर किए तथा पुनः सहजीवन व्यतीत करने का सामूहिक रूप से निर्णय लिया। यह संपूर्ण प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में सम्पन्न हुई तथा मिशन शक्ति टीम द्वारा उठाया गया यह प्रयास सफल रहा।

काउन्सलिंग कराने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 सुश्री शीलेश चौधरी थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-म0का0 870 मनीषा थाना बिनौली जनपद बागपत।